न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 11 / 2023
दायर दिनांक : 04 / 04 / 2023
निर्णय दिनांक : 18 / 11 / 2025

उनवान

1 श्यामलाल पिता नारायण खटीक निवासी आकोला तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 कंचनदेवी पिता नारायण निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2 प्रकाशचंद पिता मांगीलाल रेगर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर
3 रमेशचंद्र पिता नारायण लाल खटीक निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
4 जगदीशचंद्र पिता नारायण लाल खटीक निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
5 उपपंजीयक तहसील भूपालसागर
6 पटवारी आकोला
7 तहसीलदार भूपालसागर

अप्रार्थीगण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौडगढ

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री आसिफ इकबाल , अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेश किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य ही डिक्री होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश है। पटवार हल्का आकोला तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित खाता संख्या 1307 के हाल 1437 रकबा 0.01 है0 आ0चा0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.01 है0 व हाल खाता संख्या 1314 हाल आ0न0 1435 रकबा 0.26 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0. 26 है0 तथा हाल खाता संख्या 1313 के हाल आ0स 136 रकबा 0.65 है0 आ0स0 787 रकबा 0.38 है0 आ0स0 1438 रकबा 0.40 है0 आ0स0 7653 / 5362 रकबा 0.09 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1. 52 है0 जमाबंदी साथ संलग्न है। प्रार्थी की माता हगामी बाई ने प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 के स्नेह वात्सलय से प्रसन्न होकर हक अधिकार की खातेदारी की आराजियात को तहसील कार्यालय भूपालसागर में आकर दिनांक 06.03.2019 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित करा पंजीयन करवाया कि प्रार्थी की माता हगामी बाई ने प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित करा देने के बाद दिनांक 07.02.2020 को प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित खाता संख्या 1313 की आ0स0 136 को छोडकर आराजी 787 1438 7653 / 5362 व खाता संख्या 1314 के आ0न0 1435 तथाा खाता 1307 के आ0न0 1437 में निहित अपना संपूर्ण हक हिस्सा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 के हक में तहसील कार्यालय में आकर जरिए रजिस्टर्ड हकत्याग नामा निष्पादित करा पंजीयन करा दिया तथा कब्जा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 4 के सुपुर्द कर दिया उसके बाद प्रार्थी की माता हगामी बाई की मृत्यु हो गई जिसका सामाजिक कार्यक्रम वादी ने ही किया इसी दौरान प्रार्थी बीमार होकर लकवा से ग्रस्त हो गया। जिसके इलाज हेतु उदयपुर आता जाता रहता था वसीयत व हकत्याग नामे के आधार पर मृतक हगामी बाई का नामांतरण खुलवाने हेतु पटवारी आकोला को असल दस्तावेज दिए। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर हगामी बाई का नामांतरण विरासत से खुलवा दिया जो मृतक हगामीबाई के जीवनकाल में किए गए वसीयतनामा एवं हकत्याग के मुकाबले खारिज होने [illegible] अप्रार्थी [illegible] 1 कंचन के द्वारा विरासत से नामांतरण खुलवाने के प्श्चात अप्रार्थी संख्या 2 प्रकाशचंद्र को वि[illegible] [illegible].2022 को आराजी संख्या 1435 1437 1438 को विक्रय कर दिया जो प्रार्थना[illegible] के मुकाबले निस्प्रभावी एवं शुन्य है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थनापत्र [illegible] आराजियात को अपने हिस्से से

Signature Not Verified
Digitally Signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:08:52 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

1438 को विक्रय कर दिया जो प्रार्थनापत्र में वर्णित वसीयत एवं हकत्याग नामा के मुकाबले निस्प्रभावी एवं शुन्य है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 2 में वर्णित आराजियात को अपने हिस्से से अधिक आई आराजियात को अन्य को रहन बह करने की धमकी देते है इस कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि दौराने वाद विचारण प्रतिवादीगण वाद वर्णित आराजियात को किसी अन्य व्यक्ति को रहन वसीयत आदि नही करे तथा अप्रार्थीगण संख्या 5 वाद वर्णित आराजियात से संबंधित किसी दस्तावेज का पंजीयन नही करे तथा 6 7 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है इसमें कोई हानि नही है नही रोके जाने से प्रार्थी को अपार क्षति होगी और भविष्य में मुकदमे बाजी बढेगी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री अशफाक अली व अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 की ओर से वकील श्री पवन जयसवाल ने अधिकार पत्र पेश किए। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से दिनांक 29.09.25 को जवाब बंद किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब दिनांक 07.10.25 में राजहित प्रभावित नही होने से जवाब अपेक्षित नही होना बताया

वकील प्रार्थी एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक दोनों पक्ष राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखेगें। निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:08:52 IST
Reason: SelfAttested